PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

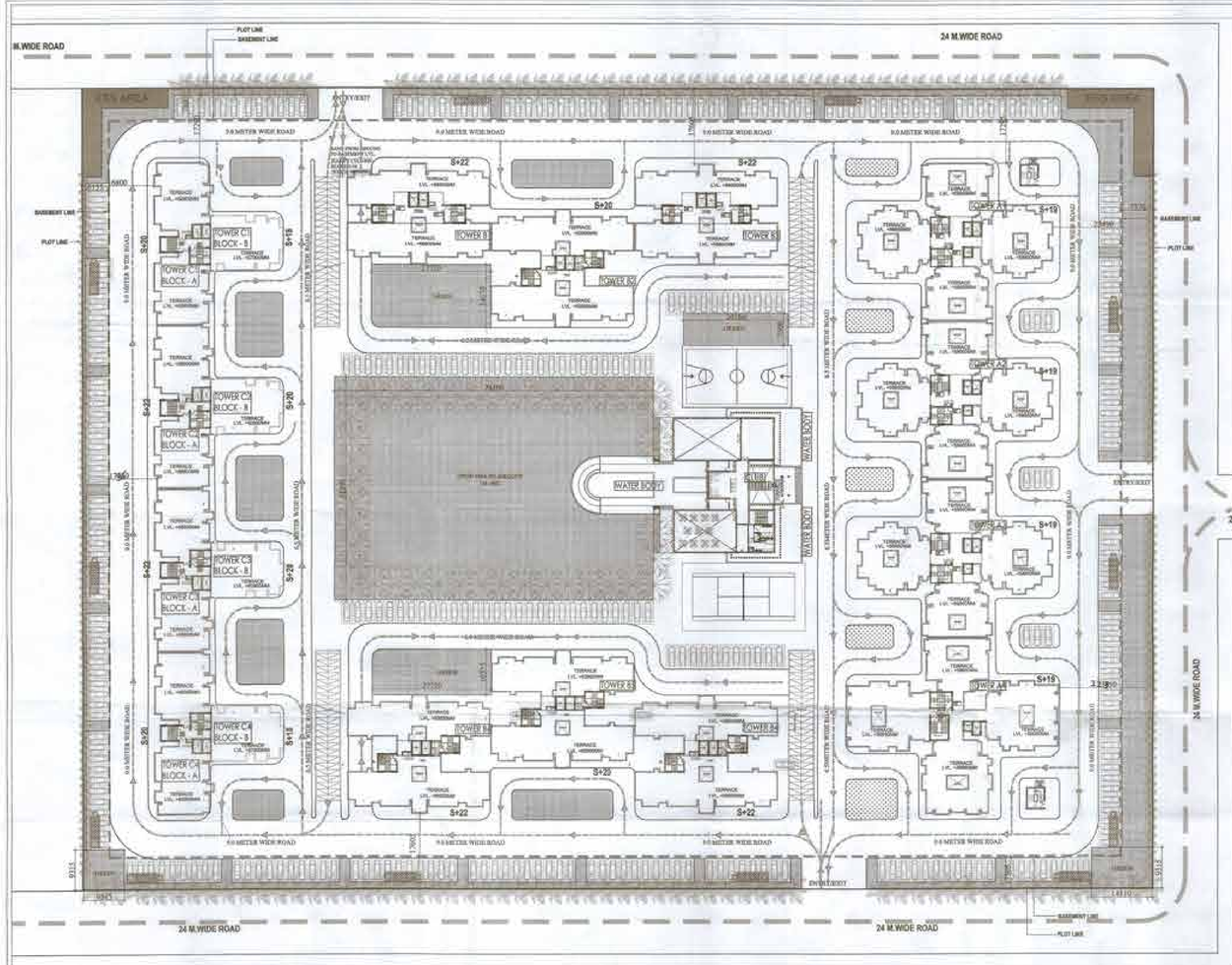

SITE PLAN

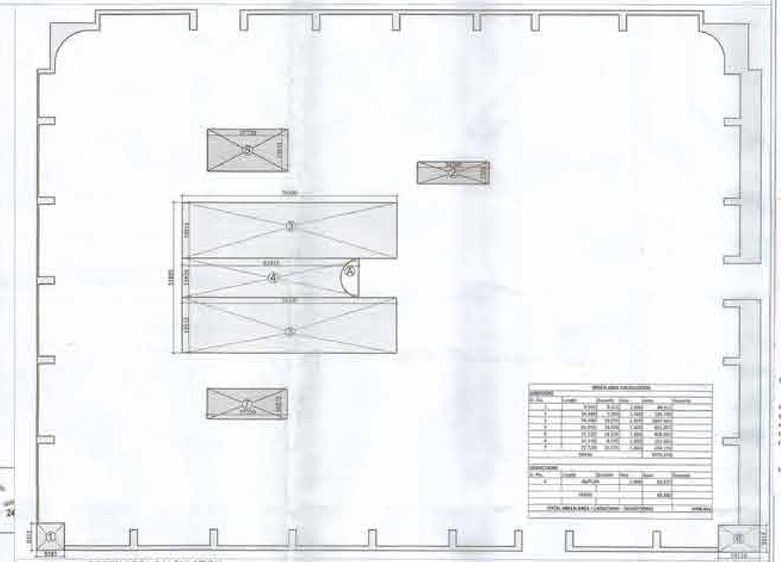

GREEN AREA CALCULATION

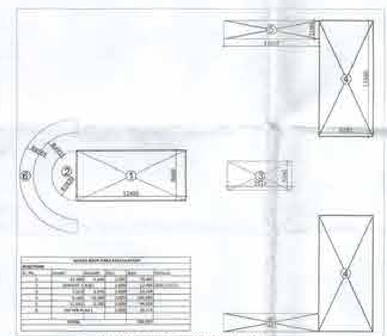

WATER BODY AREA CALCULATION

PROPOSED NO. OF UNITS			
TOWER	NO. OF FLOORS	UNITS PER FLOOR	TOTAL UNITS IN TOWER
TOWER A1	19	8.00	152.00
TOWER A2	19	8.00	152.00
TOWER A3	19	8.00	152.00
TOWER A4	19	8.00	152.00
TOWER B1	22	4.00	88.00
TOWER B2	20	4.00	80.00
TOWER B3	22	4.00	88.00
TOWER B4	22	4.00	88.00
TOWER B5	20	4.00	80.00
TOWER B6	22	4.00	88.00
TOWER C1 - Block A	20	2.00	40.00
TOWER C1 - Block B	18	1.00	18.00
TOWER C2 - Block A	22	2.00	44.00
TOWER C2 - Block B	20	1.00	20.00
TOWER C3 - Block A	22	2.00	44.00
TOWER C3 - Block B	20	1.00	20.00
TOWER C4 - Block A	20	2.00	40.00
TOWER C4 - Block B	18	1.00	18.00
GRAND TOTAL			1,556.00

प्रतिमान

1. शासन-पत्र दिनांक 08.07.2017 के अनुसार व प्राधिकरण एवं विभागाध्यक्षों के मध्य निष्पादित अनुबन्ध दिनांक 16.08.2017 के अनुसार कार्य योजना एवम्‌ग्रुपिंग की समेकित विकास विधि के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किया जाता होगा।
2. शासन-पत्र दिनांक 08.07.2017 के अनुसार पंजीकरण एवं अन्य शुल्कों की अनुमन्यता 03 माह के अन्दर समाप्त कराना होगा।
3. भू-स्वामित्व तथा भूमि उपयोग-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विभागाध्यक्ष केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य का संकल्प, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विभागाध्यक्ष अन्तर्गत की गयी है। भूखण्ड के लिए सक्षम न्यायालय का स्थगित आदेश अथवा जो भूमि के कब्जे की भूमि होने के कारण विभागाध्यक्ष के पक्ष में नहीं है, उस भाग पर विभागाध्यक्ष तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेंगे जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रुपिंग/अधिग्रहण/भूमि अन्य की कार्यवाही विभागाध्यक्ष के पक्ष में न हो जावे।
4. अधिग्रहण मानचित्रादेश के क्रम में लेफ्ट अवशिष्ट भाग के अनुसार समायोजन अनिवार्य होगा।
5. मानचित्रादेश के अनुसार कब्जा एवं भूखण्ड विक्रेती निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. लेफ्ट अवशिष्ट भाग व प्रस्तावित भाग के अनुसार कब्जा एवं भू विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
7. भूखण्ड आदि शासन अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
8. पृथक्‌ प्रवेश एवं द्वार प्रदान करना होगा।
9. रिमार्क्स प्राधिकरण एवं कॉलेज मॉल विभाग का कब्जा एवं अधिग्रहण मानचित्रादेश के अनुसार पूर्ण करना होगा।
10. लेकर एक्ट, आरटीएम एक्ट-2013 व नियमावली सेफ्टी कोड का अनुपालन करना होगा, एवं शासन पत्र दिनांक 08.07.2017 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा आपत्ति + प्रतिमान लेकर एवं लेकर डिजाईनिंग में सीधे जमा करके प्राधिकरण की सूचित करना होगा।
11. कब्जा पर आर्किटेक्ट फर्म ने विभागीय मानचित्रादेश हेतु रेरा का निर्माण एवं मानचित्रादेश पुस्तिकाओं का विक्रय करना होगा।
12. कब्जा पर मानचित्रादेश प्रतिकृति सम्बन्धी अनुपालन करना होगा।
13. यदि कोई ऐन्सलरी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करा करना होगा।
14. भूमि भाग एवं शास निर्माणाधीन, कब्जा अवशेष द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करा करना होगा।
15. शासन पत्र दिनांक 16.08.2017 के अनुसार विभागाध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत मानचित्र प्रस्तुत विकास व भूखण्ड विक्रेती प्रकरण पर सी.सी.ए. विभागीय अभियन्ता संबंधित के अनुभवरत आर्किटेक्ट के प्रतिवेदन के आधार मानचित्र अवश्य 15 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत कराना होगा। उपरान्त की दशा में समुचित कार्यवाहियां विभागाध्यक्ष का होगा।
16. यदि भविष्य में किसी कोई भाग उपलब्ध है जाती है कि विभागाध्यक्ष द्वारा कोई भाग मुद्दा जब मानचित्र की स्वीकृति दाय की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो मानचित्र तथा निरस्त माना जायेगा।

नगर मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा पत्र संख्या जी० विकास 2016 2015 की धारा 45 के अन्तर्गत दिये प्रतिबन्ध शर्तों पालन किया जाना है कि विकास प्राधिकरण भूमि विक्रय नहीं कर सकेगा।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
सम्पत्ति
पत्रांक संख्या 41815
दिनांक 21-07-2017
पंजीकृत की दिनांक 20-07-2017
अधिशासी अधिकारी
विकास क्षेत्र, लखनऊ

SUBMISSION DRAWING

NOTES:
1. BUILDING IS DESIGNED(STRUCTURED) AS PER RELEVANT IS CODES FOR EARTH QUAKE RESISTANCE.
2. MECHANICAL VENTILATION SYSTEM PROVIDED AS/NBC IN BASEMENT

PRINCIPLE ARCHITECT

DESIGN FORUM INTERNATIONAL
K-47, KAILASH COLONY NEW DELHI-48
PHONE: 011 - 46508800 FAX : 46508801

CONSULTANTS
STRUCTURE - BMSF Design Consultants Pvt. Ltd.
MEP - Consummate Engineering Services Pvt. Ltd.

OWNER'S SIGNATURE | ARCHITECT'S SIGNATURE

PROJECT:
PROPOSED GROUP HOUSING-2(AT - West Delhi)
KHASRA NO. 439,440,441,442,443 AS PER PROJECT OFKHASRANO.-153,154,436,438,444,445,446,448,449,465,466,467 IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.

DRAWING TITLE:
SITE PLAN
WITH GREEN AREA AND WATER BODY AREA CALCULATION

SCALE 1:400
DATE 24-08-2016
DWG NO. 01

	BOTANICAL NAME	COMMON NAME	PHYSIOGNOMY
	SAUSINIA BLACKERIA	SAUSINIA	DECIDOUS 50 NOS.
	PHOENIX DACTYLIFERA	DATE PALM	EVERGREEN 100 NOS.
	FICUS BENJAMINA	BENJAMINA	EVERGREEN 100 NOS.

LOCATION PLAN

FAR CALCULATION

TOTAL PLOT AREA	46686.50 SQM
TOTAL PLOT AREA (IN hectare)	4.65 Hectare

	PERMISSIBLE/REQUIRED	PROPOSED	UNIT
GROUND COVERAGE	35.00	30.64	%
GROUND COVERAGE	16270.28	14302.74	SQM.
FAR	3.75	2.72	
TOTAL COVERED AREA	174824.59	127238.54	SQM.
DENSITY (units per hectare)	300.00	335.28	NOS.
NO. OF UNITS (4.65x300)	1394.00	1556.00	NOS.
GREEN AREA	10.00	10.13	%
GREEN AREA	4668.65	4708.84	SQM.
WATER BODY (5 % OF TOTAL GREEN AREA)	232.43	346.96	SQM.
NO. OF TREES (10 PER HECTARE)	232.43	250.00	NOS.
NO. OF PARKING	1631.92	1626.24	NOS.
BASEMENT AREA		38446.48	SQM.

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT